न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 98 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 133)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जगजीत सिंह पुत्र सूबा सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर।		1. सूबा सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 24.05.2023

उपस्थित: 1.श्री मनीष कुमार जागिंड अधिवक्ता वादी
2.श्री रामदास सोंलकी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

––निर्णय–– **दिनांक : 10.02.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 21 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64 / 63 के मुरब्बा नम्बर 9 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक एंव संयुक्त हिन्दू खानदान की भूमि है। जो पारिवारिक बंटवारानामा में प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए वसीयत नामातंरण संख्या 100 से प्राप्तशुदा है। राजस्व रिकॉर्ड में वर्णित समस्त भूमि पैतृक सम्पति की श्रेणी में आती है, जो पारिवारिक बंटवारानामा में प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए वसीयत नामातंरण संख्या 100 से प्राप्त हुई है। उक्त वर्णित भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी का उक्त भूमि में जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादी प्रतिवादी का विधिक प्रतिनिधि है तथा वह विधिवत हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी हैं एंव दावा ला पाने का अधिकारी है। वादी शादीशुदा है तथा संयुक्त परिवार से अलग गांव में ही निवास करता है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के साथ काफी समय पूर्व विभाजन हो गया था। वादी को उसके हक व हिस्सा अनुसार भूमि व अन्य अचल–चल सम्पति का विधिवत बंटवारा करके दिया जा चुका है, जिस पर वादी अपनी सुविधा अनुरूप काबिज है तथा बंटवारा में प्राप्त सम्पति से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। वादी द्वारा बंटवारा में प्राप्त भूमि पर काफी समय से शातिपूर्वक, निर्बाध, निरन्तर रूप से काश्त की जा रही है। आज से 10 रोज पूर्व वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व रिश्तेदारों की उपस्थिति में पंचायत भी हुई, जिसमे पंचायत के लोगों द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को आपत्ति प्रकट की गई कि आप लोगों के बहकावे में न आवें और वादी को उसके हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त में किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न न करे। इस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने पंचायत को विश्वास दिलाया और कहा कि वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा, जिससे दोनों के मध्य किसी प्रकार का विवाद हो। उसके उपरांत प्रतिवादी संख्या 1 का कुछ समय तो व्यवहार ठीक रहा, उसके पश्चात पुनः प्रतिवादी संख्या 1 गांव के शरारती लोगो के बहकावे में आ गये और वादी के साथ अभ्रद व्यवहार करता है और वादगत भूमि को अन्यत्र विक्रय करने की बात करता रहता है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 21 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64 / 63

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

के मुरब्बा नम्बर 9 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादी के हक व हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामदास सोंलकी उपस्थित आए। जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 3780 दिनांक 19.12.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 21 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64 में मुरब्बा नम्बर 9 की 6.325 हैक्टेयर नहरी भूमि सूबा सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख के नाम दर्ज है। उक्त भूमि सूबा सिंह को जरिये इंतकाल संख्या 100 दिनांक 07.06.1991(वसीयत) प्राप्त हुई है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 21 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64/63 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 21 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64/63 के मुरब्बा नम्बर 9 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से अपने हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 21 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64 में मुरब्बा नम्बर 9 की 6.325 हैक्टेयर नहरी भूमि सूबा सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख के नाम दर्ज है। उक्त भूमि सूबा सिंह को जरिये इंतकाल संख्या 100 दिनांक 07.06.1991(वसीयत) प्राप्त हुई है। लिहाजा वादी ने अपने वादपत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वादगत भूमि में से वादी कितना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 सूबा सिंह के कितने विधिक वारिसान है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए वसीयत प्राप्त हुई है। जबकि वादी के द्वारा वादगत भूमि को पैतृक सम्पति के रूप में परिभाषित किया है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली—भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन (राजस्व) अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन (राजस्व) अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जगजीत सिंह बनाम सूबा सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 88, 91 आरटीए

मुकदमा नम्बर **98/2023**

निर्णय दिनांक :- 10.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिंड व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री रामदास सोंलकी उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 10.02.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	**रुपया**	**पैसा**	**मुदायली**	**रुपया**	**पैसा**
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**02**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)